न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 83/2016 प्रार्थना पत्र

अनवान

1. श्रीमती भगवतीबाई पत्नि स्व. श्री कोदरसिंह राजपूत निवासी नेवज तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।
2. श्री गोपाल सिंह पिता स्व. श्री कोदरसिंह राजपूत नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती भगवतीबाई राजपूत निवासी नेवज तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री वालसिंह पिता अकेसिंह राजपूज निवासी नेवज तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक–28.01.2021

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि मौजा नेवज, पटवार सर्कल कोल्यारी, तहसील झाडोल (फ.), जिला उदयपुर में प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं स्वामित्व की पैतृक कृषि भूमि निम्नानुसार आराजीयात स्थित है:–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	213	0.07	0.33
2	215	0.09	0.28
3	225	0.16	0.99
कुल किता	3	0.32	1.60

2. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण की मौरूसी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी सं. 1 के मृतक पति व प्रार्थी सं. 2 के मृतक पिता व प्रार्थीगण का संयुक्त में 1/2 हिस्सा व मृतक केशरसिंह का 1/2 हिस्सा निहित है तथा केशरसिंह दिनांक 15.10.07 में लाऔलाद फौत हो चुके थे जिनके कोई उत्तराधिकारी नही है। इसलिए वर्ष 2007 से श्री केशरसिंह का हिस्सा प्रार्थीगण में निहित होकर प्रार्थीगण काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है जो प्रार्थीगण, मृतक केशरसिंह के 1/2 हिस्से की भूमि अपने नाम खातेदारी, काश्तकार की घोषणा करने के अधिकारी एवं दावेदारी है।
3. यह कि प्रार्थी सं. के पति व प्रार्थी संख्या 2 के पिता अनपढ थे जिसका बेजा फायदा उठा कर मृतक कोदरसिंह को धोखे में रख विपक्षी द्वारा मृतक कोदरसिंह बिना प्रतिफल दिये एवं बिना कब्जा के हस्तांतरण के विक्रय पत्र विपक्षी के नाम पर निष्पादित करवा दिया। जो कि प्रार्थीगण के बुकाबले बेअसर व शून्य है। क्योकि वादोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है जिसे बिना प्रार्थीगण की जानकारी में आये विक्रय करने का अकेले मात्र कोदरसिंह को कोई अधिकार नही था तथा विपक्षी ने मृतक कोदरसिंह को मुगालते में रख दिनांक 28.10.06 को अपने नाम पर विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है जबकि मौके पर कब्जा कभी विपक्षी ने प्राप्त नही किया शुरू से कब्जा प्रार्थीगण का चला आ रहा है जो वर्तमान में भी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में

सहायक कलक्टर
झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर

वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का है। इसलिए प्रार्थीगण संपूर्ण कृषि भूमि को अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करा, खातेदारी, काश्तकार की घोषणा कराये जाने के अधिकारी एवं दावेदारी है।

4. यह कि वादोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का हक निहित हो प्रार्थीगण मौके पर काबिज चले आ रहे है जिनकी सहमति एवं जानकारी के बिना विपक्षी ने वादोक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि कोदरसिंह के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कोदरसिंह को मुगालते में रख बिना कब्जे के हस्तांतरण के विक्रय पत्र अपने नाम पंजीयन करवा दिया। जो प्रार्थीगण के मुकाबले प्रांरभ से शून्य व अवैध है। इसलिए उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादोक्त कृषि भूमि में विपक्षी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है क्योकि वादोक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा जो कोदरसिंह के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज था उस हिस्से में प्रार्थीगण कोदरसिंह के विधिक वारीसान होने एवं मौरूसी भूमि होने से हक निहित है। जो प्रार्थीगण अपने नाम की घोषणा करा, राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी एवं दावेदारी है।

5. यह कि हाल ही में दिनांक 20.04.16 को विपक्षी वादोक्त कृषि भूमि पर आकर प्रार्थीगण को धमकी दी कि वादोक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड तके उसके नाम पर दर्ज है इसलिए वह उसका मालिक है यहां से कब्जा छोड देना वरना जान से खत्म कर देगें। जिस पर प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड से जमाबंदी व रजिस्ट्री की नकले प्राप्त की जिस पर प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि विपक्षी ने प्रार्थीगण के पति/पिता को मुगालते में रखकर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया जबकि मौके पर किसी प्रकार से कब्जे का हस्तांतरण नही हुआ लेकिन अब विपक्षी वादोक्त कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करने की नियत से लगातार प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करने की नियत से लगातार प्रार्थीगण को धमकिया दे रहा है ऐसी स्थिति में वादीगण, विपक्षी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदारी है कि दौराने विचारण दावा वादोक्त कृषि भूमि से प्रार्थीगण को विपक्षी जबरन बेदखल नही करे, न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी करे, न ही वादोक्त कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन करे, न ही किसी प्रकार से वादोक्त कृषि भूमिको विपक्षी किसी अन्य को हस्तांतरित करावें, ऐसा न प्रार्थीगण स्वंय करे, न अपने नौकर, रिश्तेदार, एजेन्ट, मित्र इत्यादि से करावे।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्य 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का हक निहित हो प्रार्थीगण मौके पर काबिज हो काश्त करते आ रहे है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि पर प्रार्थीगण काबिज हो निरंतर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है इसलिए सुविधा संतुलन का पक्ष भी प्रार्थीगण के हक में है यदि विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रदान नही कराये गये तो विपक्षी अपने भुजबल व धनबल के आधार पर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के 1/2 भाग पर प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा कर देगा एवं वादोक्त कृषि भूमि को हस्तांतरित कर देगा जिससे प्रार्थीगण को ऐसी भारी मानसिक व आर्थिक क्षति कारीत होगी जिसका ऐवजाना रूपयो में आंका जाना संभव नही होगा। इसलिए सारभूत हानि का पक्ष भी प्रार्थीगण के हक में है।

7. प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि दौराने विचारण दावा वादोक्त कृषि भूमि से प्रार्थीगण को विपक्षी जबरन बेदखल नही करे, न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी करे, न ही वादोक्त कृषि भूमि की किस्त परिवर्तन करे, न ही किसी प्रकार से वादोक्त कृषि भूमि को विपक्षी किसी अन्य को हस्तांतरित करावें, ऐसा न प्रार्थीगण स्वंय करे, न अपने नौकर, रिश्तेदार, एजेन्ट, मित्र इत्यादि से करावे।

सहायक कलक्टर
झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से श्री जसवंत सिंह झाला द्वारा वकालतनामा पेश किया। दिनांक 13.08.19 को न्यायालय द्वारा विपक्षी को विधिवत रूक–रूक कर आवाज दिलवाई गई। बाजवूद सूचना के अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीन बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. **प्रथम दृष्टया मामला:–** हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत मौजा नेवज, पटवार सर्कल कोल्यारी, भू–अभिलेख निरीक्षक फलासिया, तहसील झाडोल जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता सं. 117 (नई) एवं 106 (पुरानी) में आराजी नं. 213, 215 एवं 225 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 हैक्टर बालसिंह पिता अकेसिंह 1/2 केशरसिंह पिता देवीसिंह 1/2 राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है। तत्पश्चात् नामातंरकरण सं. 193 दिनांक 10.12.14 को विरासत से केशरसिंह पिता देवीसिंह 1/2 के बजाय गोपालसिंह पिता कोदरसिंह ना.बा. भगवतीबाई बेवा कोदरसिंह 1/6 हि.ब. कालीबाई, कंकुबाई पिता देवीसिह 1/3 के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। विपक्षी वालसिंह पिता अंकेसिंह राजपूत प्रार्थनाग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। वालसिंह द्वारा उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता/पति से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। अतः सदभावी केता होने व रिकार्डेड खातेदार दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध विपक्षी वालसिंह के पक्ष में साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है, यदि विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षी का भारी नुकसान होगा। अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी विपक्षी के पक्ष में निर्णित होती है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत किया है उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय पर चाहते है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति कोदरसिंह को अकेले विपक्षी को बेचने का कोई अधिकार नही है। न ही विपक्षी द्वारा कोई प्रतिफल दिया गया है व न ही कब्जा प्राप्त किया है। यह विक्रय पत्र दिनांक 28.10.2006 को निष्पादित किया गया है। प्रार्थनाग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की मौरूसी संपति है अथवा नही, व क्या रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रार्थीगण के मुकाबले बेअसर व शून्य है इसका फैसला मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर किया जायेगा।

11. प्रार्थीगण दौराने वाद निस्तारण विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है परन्तु विपक्षी उपरोक्त आराजी का सद्भावी केता होकर रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। विक्रय पत्र भी 2006 में निष्पादित किया गया है, जिसे लगभग वाद दायर होने तक 10 साल का समय हो गया है जिसके दौरान प्रार्थीगण द्वारा कोई आपति दर्ज नही कराई गई है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध विपक्षी के पक्ष में निर्णित हुए है।

सहायक कलेक्टर
झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का.अधि. 1955 अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनवाया गया।

सहायक कलक्टर, झाड़ोल * जिला उदयपुर (राज.)

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर झाड़ोल
जिला उदयपुर

सहायक कलेक्टर
झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर